



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 604]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 31, 2016/भाद्र 9, 1938

No. 604]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 31, 2016/BHADRA 9, 1938

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 838(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं० 1-3 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कंडला पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में 31-03-2018 (2016-18) की अवधि के लिए नियुक्त करती है :-

तालिका

1.	श्री रंछोडभाई चनाभाई फाल्दू के-9, सर्किट हाउस के सामने, सेक्टर - 19, गांधी नगर, गुजरात	एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3 (1)(ग)(i)(7) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि
2.	श्री मावजीभाई भीखाभाई सोराथिया "विजय" प्लॉट सं० 84, सेक्टर न० 2, गुजरात विद्यालय के सामने, गांधीधाम - कच्छ गुजरात - 370201	एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3 (1)(ग)(i)(7) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि
3.	श्री राजगोर भारतभाई देवजीभाई वरणदावन मार्किट के पीछे, हाईवे रोड, संतालपुर जिला - पाटन गुजरात - 385350	एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3 (1)(ग)(i)(7) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

[फा. सं. एलबी-11013/11/2015-एल]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2016

G.S.R. 838(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial number 1-3 in the table below, to be trustees on the Board of Trustees of the Kandla Port Trust for the period up to 31.03.2018 (2016-18):-

TABLE

1.	Shree Ranchhodbhai Chanabhai Faldu K-9, Opp. – Circuit House Sector -19, Gandhi Nagar Gujarat	Representing Other Interest as envisaged under section 3(1)(c)(i)(7) of the MPT Act, 1963.
2.	Shri Mavjibhai Bhikhabhai Sorathia “VIJAY” Plot No. 84, Sector No. 2 Opp. Gujarat Vidhyalaya, Gandhidham-Kachchh Gujarat – 370201	Representing Other Interest as envisaged under section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963.
3.	Shri Rajgor Bharatbhai Devjibhai Behind Vrundavan Market Highway Road, Santalpur Distt. Patan Gujarat - 385350	Representing Other Interest as envisaged under section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F. No. LB-11013/11/2015-L]

BARUN MITRA, Jt. Secy.